राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/ 3980 दिनांक :– 14|11|18

आदेश

निदेशालय द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक F.59 STP/DLB/Review of M.P./14/2519 दिनांक 10.01.2018, व 26.03.2018 08.05.2018, 21.06.2018, 25.06.2018 द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों के क्रम में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा कन्सलटेंट के माध्यम से जोनल डवलपमेंट प्लान बनवाये जाने हेतु कार्य आदेश जारी किये गये। जोनल डवलपमेंट के कार्य हेतु उपरोक्त आदेशों द्वारा अति. मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय के निरीक्षण में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

यह देखा गया है, कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा कन्सलटेसी फर्म के द्वारा करवायें जा रहे कार्यो के बिलों का भुगतान बिना तकनीकी अनुमोदन ही किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। जोनल डवलपमेंट प्लान का कार्य उपरोक्त आदेश एवं दिशा–निर्देश के अनुसार ही किया जाना है, जिससे की कार्य की औचित्यता एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य पूर्ण हो सकें एवं इस बाबत् किये गये कार्य हेतु भुगतान फलदायक हो सकें।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है, कि नगरीय निकायों में विभिन्न कन्सलटेंट के माध्यम से जोनल डवलमपमेंट के कार्य का भुगतान उक्त आदेशों अनुसार मुख्य नगर नियोजक, (नगर नियोजन शाखा) निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग से तकनीकी अनुमोदन पश्चात् ही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/ 3981-3985 दिनांक :– 14|11|18

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
2. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
4. CMARको प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. System analyst cum Joint Director, DLBको प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

14/11/2018
(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक

[Type text]